(रजि० नं० 1825)

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं० ....   दिनांक : 06-04-07

सेवा में,

श्रीमान् कारखाना प्रबन्धक महोदय,
मैसर्ज फैशन एक्सप्रैस
प्लाट नम्बर 100, फेस–1, उद्योग विहार
गुडगांव

विषयः आप द्वारा गैर हाजिरी बारे भेजे जा रहे निराधार एंव भ्रामक पत्रों के संदर्भ में।

श्रीमान् जी,

सादर निवेदन है कि यूनियन को जानकारी मिली है कि आप द्वारा कुछ श्रमिकों के घर पर एक सोची समझी साजिश के अन्तर्गत गैर हाजिरी का हवाला देकर पत्र भेजे है जोकि सरासर गलत, निराधार एंव बेबुनियाद है। वास्तविकता यह है कि संस्थान मालिक श्री गौरव ममिक साहब ने चार महिला श्रमिकों के साथ अभद्र व अश्लील हरकतें करते हुए उनकी इज्जत व आबरू पर हाथ डाला था । संस्थान में कार्यरत अन्य श्रमिकों को जब इस संवेदनशील घटना की जानकारी मिली तो सभी उनके इस धृणित कृत्य के कारण विरोध स्वरूप सामूहिक तौर पर संस्थान में बैठे हुए है और उनके द्वारा इस मामले में कोई सकारात्मक रास्ता ना अपनाने के कारण महिला श्रमिको ने मजबूरन पुलिस विभाग में शिकायत देकर श्री मामिक साहब के विरूद्व यौन प्रताडना के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज कर गिरफ्तार की मांग की है और उनके राजनैतिक व आर्थिक प्रभाव के कारण अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही ना होने के कारण यूनियन प्रधान श्री सतबीर सिंह सहित गुडगांव के औद्योगिक श्रमिकों की अन्य यूनियनों भी श्री गौरव मामिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लघु सचिवालय गुडगांव पर दिनांक 02.04.2007 से चल रहे धरनों का समर्थन कर रही है और उसमें सहयोग कर रही है।

पूर्व में भी श्री मामिक द्वारा महिला के साथ इस प्रकार की धटना की जा चुकी है। जो केस अभी तक माननीय न्यायालय गुडगांव व माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय में पैडिंग है।

पेज बाकी....2

(रजि० नं० 1825)

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं० ....   दिनांक : ....

अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस प्रकार का पत्राचार ना करें क्योकि ऐसा करने से श्रमिको व महिला श्रमिकों के परिवारों गम्भीर मानसिक परेशानियों का सामना करना पड रहा है। और वे सभी स्वंय दिनांक 21.03.2007 से लगातार खुले आसमान के नीचे दिन रात तपती गर्मी एंव अनय जरूरी सुविधाओं के अभाव में विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे है और संकटमय जीवन जी रहे है। जबकि श्री गौरव साहब मामले को सुलझाने में कोई रूचि नही ले रहे और अपनी हैसियत से पुलिस व अन्य विभागों की कानूनी कार्यवाही को प्रभावित कर रहे है।

आशा है कि आप श्रमिकों/महिला श्रमिकों की समस्याओं व परिस्थितियों को ध्यान में रखने की कृपा करेंगें और इस दौरान यदि कोई भी अप्रिय धटना धटित हुई तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी आपकी, श्रम विभाग व पुलिस प्रशासन एंव सरकार की होगी। क्योंकि किसी भी विभाग की तरफ से कोई प्रभावी कानूनी कार्यवाही अभी तक अमल में नही लाई गई है।

निवेदक

सतबीर सिंह

(सतबीर सिंह) प्रधान
मार्फत बलबीर सिंह काजल
कमरा नम्बर 5, गौशला मार्किट
गुडगांव

प्रतिलिपि :–

1. श्रम तथा समझौता अधिकारी, गुडगांव
2. उपश्रमायुक्त महोदया, सिविल लाईन, गुडगांव
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली।
4. श्रम आयुक्त हरियाणा, 30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर–17, चण्डीगढ।
5. श्रीमान् प्रवर पुलिस अधीक्षक, गडगांवा
6. उपायुक्त महोदय, गुडगांव